प्रतिलिपि क्रमांक 1606–3जी0 एस0–1–75, दिनांक 24-4-1975 मुख्य सचिव हरियाणा की ओर से वित्तायुक्त राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा को प्रेषित ।

विषय :—सेवा निवृत उपरान्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की पुन : नियुक्ति ।

क्या वित्तायुक्त, राजस्व तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, उपरोक्त बिषय पर संयुक्त पंजाब के अशा0 क्रमांक 9246–जी 11–57 दिनांक 8 जनवरी 1958 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर ध्यान देंवे ।

2. ऐसा देखने में आया है कि पुन : नियुक्ति सम्बन्धी मामले बड़ी संख्या में मुख्य सचिव, (समान्य सेवाऐं शाखा -I) को प्रशासनिक विभागों द्वारा भेजे जाते है जिनमें पुन : नियुक्ति के लिए लोकहित में नितान्त अवश्यकता नहीं होती है । पुन : नियुक्ति के लिए हिदायतों के परा 2 (सी) में कुछ शर्तें लगाई गई हैं जिनकी रोशनी में प्रत्येक विभाग को अपने पुन : नियुक्ति सम्बन्धी मामलों की जाँच करना होता है। यहां पर ये सभी शर्तें पूरी होती है वहां पर प्रशानिक विभाग वित्त विभाग की सहमति से पुन : नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में आदेश जारी कर सकते है । जिन मामलों में इन शर्तों में से कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं उनके बारे प्रशाकीय विभागों को पूर्ण औचित्य देना होता हैं तथा इनको पूरा न होने के लिए ढ़ील के लिए प्रस्ताव भेजना होता है। लेकिन साधारण तथा यह देखने में आया है कि इन शर्तों की रोशनी में मामलों की जाँच नहीं की जाती है और खास तौर पूर्ण औचित्य सहित यह नही बताया जाता है कि अमुक शंत में इस कारण ढील की आवश्तकता है ।

3. अत : उनसे अनुरोध है कि प्रथम तो पुन : नियुक्ति संबंधी मामलों में नितान्त आवश्यकता होने पर और केवल लोक हित में ही विचार किया जाए। दूसरे इन हिदायतों के अनुसार उनकी जांच की जाये तथा खास तौर पर उन शर्तों के पूरा न होने पर उनके बारे पूर्ण औचित्य तथा ढील का प्रस्ताव किया जाये । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामलों को स्वत : स्पष्ट रूप में (एक फालतू प्रति सहित) केवल संबंधित प्रशाकीय सचिव के माध्यम से ही मुख्य सचिव को मंत्रणा के लिये भेजा जाए । ऐसा न होने पर प्रत्योक प्रस्ताव को बिना किसी प्रकार की मंत्रणा संबंधित विभाग को लौटा दिया जावेगा और इस प्रकार सारी देरी के लिये वे ही जिम्मेवार होगें ।

4. यह भी अनुरोध किया जाता है कि पुन: नियुक्ति संबंधी त्रिमासिक रिपोर्ट बिना चुक यथा समय पत्र भेजी जाए । ऐसा देखने में आया है कि इस रिपोर्ट को बहुत से विभाग नियमानुसार नहीं भेज रहे । अत : कृपया सुनिश्चित किया जाए कि आगे से यह नियमित रूप से भेजी जायेगी ।

5. कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें ।